

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था.(नियुक्ति)-12-01/2022 / राँची, दिनांक :..... /

—: अधिसूचना :—

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-3940 दिनांक 10.11.2022 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 23 सहायक अभियंता (असैनिक) को निम्नलिखित शर्तों के साथ झारखण्ड अभियंत्रण सेवा, वर्ग-02 में जल संसाधन विभाग अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सातवें वेतनमान लेवल-09 (समकक्ष छठा वेतनमान PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे.-5400) में तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ जल संसाधन विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् पदभार ग्रहण करने की तिथि से परीक्ष्यमान रूप में औपबंधिक नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	आयोग का क्रमांक	नाम	कोटि	गृह जिला	Rank in CAER 05/2019	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	10521115	शुभम कुमार तिवारी	अनारक्षित	अनुपपुर (म.प्र.)	24	
2.	10524327	विनय यादव	अनारक्षित	रेवाड़ी (हरियाणा)	38	
3.	10516495	राजीव रंजन सिंह	अनारक्षित	जबलपुर (म.प्र.)	79	
4.	10512331	मुरारी पटेल	अनारक्षित	वाराणसी (उ.प्र.)	141	
5.	10505259	आयुष विनोद	अनारक्षित	आगरा (उ.प्र.)	157	
6.	10514253	प्रभात कुमार त्रिपाठी	अनारक्षित	वाराणसी (उ.प्र.)	160	
7.	10501021	आदर्श कुमार	अनारक्षित	जमुई (बिहार)	171	
8.	10518251	रोहित सिंह भदोरिया	अनारक्षित	भिण्ड (म.प्र.)	190	
9.	10508888	जितेन्द्र पाल	अनारक्षित	उन्नाव (उ.प्र.)	198	
10.	10512020	मोहनिस कुमार	अनारक्षित	औरंगाबाद (बिहार)	230	
11.	10523831	विजय कुमार	अनारक्षित	गया (बिहार)	231	
12.	10507717	गौरव सिंह	अनारक्षित	गाजीपुर (उ.प्र.)	234	
13.	10523803	विजय आनन्द शर्मा	अनारक्षित	अशोक नगर (उ.प्र.)	259	
14.	10508176	हर्ष कुमार झा	अनारक्षित	मधुबनी (बिहार)	263	
15.	10509521	कृष्ण कुमार	अनारक्षित	वाराणसी (उ.प्र.)	264	
16.	10509727	कुमार गौरव	अनारक्षित	नवादा (बिहार)	269	
17.	10511732	मिथुन कुमार	अनारक्षित	शेखपुरा (बिहार)	271	
18.	10518240	रोहित सिंह	अनारक्षित	बोकारो (झारखण्ड)	276	
19.	10508702	जनेश कुमार पटेल	अनारक्षित	चन्दौली (उ.प्र.)	283	
20.	10501150	आदित्य कुमार मिश्रा	अनारक्षित	उत्तर पूर्व दिल्ली (दिल्ली)	286	
21.	10503305	अंकित आयुष	अनारक्षित	पलामू (झारखण्ड)	293	
22.	10503769	अनुज भागवान	बी.सी.-II	कोडरमा (झारखण्ड)	316	
23.	10512808	निधी कुमारी	अ.जा.	गिरिडीह (झारखण्ड)	394	

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है एवं बिना पूर्व सूचना अथवा कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह नियुक्ति आरक्षी/पुलिस अधीक्षक द्वारा वृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। अगर भविष्य में वृत्त/चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल अभियुक्ति प्राप्त होता है, तो बिना कोई स्पष्टीकरण अथवा कारण बताओ नोटिस के नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभागीय मुख्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना है।
3. अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा एवं विहित विभागीय एवं व्यावसायिक परीक्षा की उत्तीर्णता के पश्चात् ही सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई की जायेगी।
4. योगदान समर्पित करते समय अन्यत्र नियोजित नहीं होने, किसी तरह का फौजदारी मुकदमा लंबित नहीं होने, दहेज नहीं लेने/देने के सम्बद्ध में शपथ-पत्र तथा कार्मिक विभाग के अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. पदग्रहण करते समय असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को समर्पित करना होगा। असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में यह नियुक्ति की जा रही है। अनुकूल प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जा सकती है।
6. अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की जाँच, संबंधित संस्थान/कार्यालय से किये जाने के क्रम में यदि किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
7. पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण निमित्त किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
8. आदेय वेतन एवं भत्ता सेवा संहिता के नियम-58, वित्तीय नियमावली के नियम-74 के तहत पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।
9. संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं.-LPA No.-292/2022 दर्ज है। यह नियुक्ति उक्त वाद में पारित अन्तिम न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड राँची/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, पथ/भवन/ग्रामीण कार्य विभाग, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख I एवं II/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- 6494

राँची/दिनांक :- 21/12/22

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Saper
21/12/22